भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, **2015** फार्म डी [विनियम **14** देखे]
रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF INSURANCE MARKETING FIRM) REGULATIONS, 2015 FORM D [see regulation 14]
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

रजिस्ट्रीकरण संख्या / **Registration No: IMF187250600920210470**

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 डी की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 14 तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन "अल्गेट्स कंसल्टिंग आई एम एफ प्राइवेट लिमिटेड" का रजिस्ट्रीकरण **21.09.2024** से **20.09.2027** तक की अवधि के लिए नवीकृत करता है। In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby renews the registration of M/S"**Algates Consulting IMF Private Limited**" under Reg. 14 of the IRDA of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period from **21.09.2024** to **20.09.2027**.

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) को **कर्नाटक** राज्य मे कार्य करने की अनुमित दी जाएगी। The IMF shall be allowed to operate in the state/Union Territory of **Karnataka**.

2. कार्यकलापों का विस्तार Scope of Activities

बीमा उत्पादों का अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना Soliciting or Procuring Insurance Products	हाँ / Yes

3. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध मे यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन मे अथवा उनके अनुरूप है । This registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

4. अपने परिचालन की अवधि के दौरान, आईएमएफ निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

   i) आईएमएफ को समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 और आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रासंगिक अधिनियम का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए जो आईएमएफ को एक वैध इकाई के रूप में स्थापित और संरचित करता है।

   ii) यदि आईएमएफ किसी राज्य के भीतर एक से अधिक जिलों में काम करता है, तो इनमें से कम से कम एक जिला आकांक्षी जिले के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए।

iii) आईएमएफ को आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 के भाग-II, अनुसूची V के अनुसार, निम्नलिखित में से किसी भी परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण को लिखित रूप में तुरंत सूचित करना चाहिए:

क) आईएमएफ की गतिविधियों के कार्य क्षेत्र के संबंध में पंजीकरण की स्थिति में किसी भी परिवर्तन;

ख) बीमाकर्ताओं के साथ अपने समझौतों में किसी भी परिवर्तन;

ग) इसके गठन, स्वामित्व, या निदेशकों/भागीदारों में कोई भी परिवर्तन, यह ध्यान में रखते हुए कि स्वामित्व या शेयरधारिता में 25% से अधिक का कोई परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

iv) आईएमएफ, किसी अन्य विनियामक या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही या जांच या किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की रिपोर्ट करनी चाहिए।

Throughout its period of operation, the IMF shall ensure the following:

i) The IMF must strictly comply with The Insurance Act, 1938, The IRDAI Act, 1999, and IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015, as amended from time to time, along with any other relevant Acts that establish and structure the IMF as a legal entity.

ii) If the IMF operates in more than one district within a state, at least one of these districts must be classified as aspirational.

iii) The IMF must immediately notify the Authority in writing within 30 days of any of the following changes, as required by Part-II, Schedule V of IRDAI (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015:
a) Any change in the status of registration regarding the scope of activities of the IMF;
b) Any change in its engagement with insurers;
c) Any change in its constitution, ownership, or directors/partners, noting that no change in ownership or shareholding exceeding 25% shall be carried out without the prior approval of the Authority.

iv) The IMF must report any disciplinary proceedings or investigations by any other regulatory or statutory authority, or any other material information.

स्थान Place : हैदराबाद / Hyderabad
दिनांक Date : 24.09.2024

आदेशानुसार By Order

Rupa Maheswari

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India